



2026:AHC:57104

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7401 वर्ष 2026

पूजा मौर्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: देवर्षि कुमार राय. रोहित कुमार निषाद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय सं. - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री देवर्षि कुमार राय, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राकेश कुमार मिश्रा, राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी थाना कोतवाली जिला प्रयागराज के तहत मुकदमा अपराध संख्या 149 वर्ष 2016 में ट्रायल के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ तत्काल जमानत याचिका दायर की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. इस मामले की सुनवाई 12 मार्च, 2026 को हुई थी। उस तारीख को, विद्वान एजीए पर्याप्त निर्देशों के अभाव में न्यायालय की उचित सहायता नहीं कर सका क्योंकि आईओ द्वारा भेजे गए निर्देश का प्रारूप अद्यतन नहीं किया गया था। इसलिए, अभियोजन निदेशक, उत्तर प्रदेश को वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था।

4. 12 मार्च, 2026 के आदेश के अनुसरण में, अभियोजन निदेशक कुलपति के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और न्यायालय को अवगत कराया है कि सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अद्यतन निर्देश प्रपत्र के साथ पत्र इस निर्देश के साथ भेजे गए हैं कि सभी निर्देश अद्यतन प्रारूप में सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय को दिए जाने चाहिए।

5. अभियोजन निदेशक की व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट दी गई है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक आरकेएम शिक्षण संस्था सोसाइटी नामक कंपनी का निदेशक नहीं था, जिसमें पैसा निवेश किया गया था और आवेदक के खाते में कोई पैसा स्थानांतरित नहीं किया गया था और निवेशकों द्वारा जो भी राशि कंपनी, आरकेएम शिक्षण संस्था सोसाइटी के खाते में स्थानांतरित की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक एक महिला है और उसे झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने साथ के हलफनामे में छह मामलों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक, एक महिला होने के नाते, धारा 480 बीएनएसएस के मद्देनजर जमानत पर रिहा होने की हकदार है। वह 14.10.2024 से जेल में बंद हैं। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य दायर किया जिसमें दिखाया गया हो कि वर्तमान आवेदक संबंधित सोसायटी का पदाधिकारी है।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक **महिला** है और आरोप पत्र दायर किया गया है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

9. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **पूजा मौर्य** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
13. यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।
14. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति, संदर्भ में: स्वतः रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

मार्च 19, 2026

ए.के.आर.

(न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"